

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 18 जनवरी, 2024

निर्णय उद्घोषित: 31 जनवरी, 2024

वसियती वाद सं. 60/2018

श्रीमती कुमकुम देवी

..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री विक्रम सिंह नायल, श्री सुश
कुमार, श्री मुकेश कुमार, श्री प्रिंस
कुमार, श्री रोहित सिंह और श्री चंदन
झा, अधिवक्तागण

बनाम

1. राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली)

..... प्रत्यर्थीगण

2. श्रीमती माधुरी देवी

(मृत बेटी स्वर्गीय श्री राम प्रसाद सिंह)

अपने विधिक प्रतिनिधियों द्वारा:-

(i) परतिभा सिंह उर्फ गुड़िया

पत्नी श्री महेश सिंह,

दुर्गापुर-2, बनिक मोड़,

नबाबेदी बस्ती,

डाकघर: दुर्गापुर,

जिला (बर्धमान), पश्चिम बंगाल-713201।

(ii) सोनी देवी,

पत्नी भरत कुमार सिंह,

अभि. धर्मवीर राठी,
मकान न. 319, गली नंबर 1,
शिव कॉलोनी, हनुमान मंदिर के पास,
रेवाड़ी, हरियाणा-123401

(iii) विकास कुमार,
पी.यू.आई. ऑक्सफोर्ड कैप्स प्रेसीडेंसी,
रेवा के सामने छात्रावास,
विश्वविद्यालय, करांतीवीरा संगोली रायन्ना नगर,
कट्टिगेनहल्ली, येलहंका नीर रेवा विश्वविद्यालय
बैंगलोर, कर्नाटक-560064
मोबाइल नंबर 08825133237।

(iv) रिंकी कुमारी,
पुत्री राजेंद्र सिंह,
अभि. अरविंद मास्टर,
सेवा निवास (इंदु वाला प्रेस के पास),
भगत सिंह चौक,
राजेंद्र नगर, जिला नवादा,
बिहार-805110।
मोबाइल नंबर 9471070988, 9931054277

3. श्रीमती काकुली देवी,
पत्नी श्री सुधीर सिंह,
पुत्री स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह,
निवासी गाँव डोनीपार, डाकघर छत्ता
थाना मसौरी, जिला पटना (बिहार)

4. श्रीमती शोभा देवी,

पत्नी श्री धरम राह सिंह,
पुत्री स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह,
निवासी गाँव ढेलाबाद, जिला. रोहतास (सासाराम)
डाकघर अमझोर (बिहार)।

5. **शिव कुमार अल्मस्त,**
पुत्र स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह,
निवासी ग्राम अकोना और डाकघर अकना,
थाना मसौरी।
जिला पटना (बिहार)

द्वारा: उपस्थिति नहीं दी गई है।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

निर्णय

न्या.. नीना बंसल कृष्णा

- याचिकाकर्ता, श्रीमती कुमकुम देवी ने अपने पिता स्वर्गीय श्री राम प्रसाद सिंह द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांकित 08.1.2015 के संबंध में प्रोबेट देने के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1923 की धारा 276 के तहत वर्तमान याचिका दायर की है।
- याचिकाकर्ता ने कहा है कि मृतक श्री राम प्रसाद सिंह सी-34, जीएफ, विकास नगर, भाग II, उत्तम नगर नई दिल्ली 110059 के निवासी थे। वे बिहार के भागलपुर में पादप संरक्षण और कृषि विभाग में क्लर्क के रूप में काम

कर रहे थे, जहाँ से वे वर्ष 2002 में सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद वे अपनी पत्नी श्रीमती राज मालती देवी, बेटियाँ (याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4) और बेटा (प्रत्यर्थी संख्या 5) के साथ रहते थे। उनकी पत्नी श्रीमती राज मालती देवी का निधन उनसे पहले 2012 में हुआ था।

3. याचिका में कहा गया है कि स्वर्गीय श्री राम प्रसाद सिंह द्वारा इससे पहले पटना उच्च न्यायालय के समक्ष *रिट याचिका, अर्थात् सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 1979/2007* दायर की गई थी, क्योंकि उनके नियोक्ता ने अवैध रूप से वेतन बकाया राशि और सेवानिवृत्ति बकाया राशि को रोक दिया था। याचिका का निपटान दिनांक 12.08.2011 के आदेश के माध्यम से किया गया था जिसमें कृषि विभाग को मृतक द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर पुनर्विचार करने और इस मुद्दे पर एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन विभाग उपरोक्त आदेश का पालन करने में विफल रहा। इसके बाद श्री राम प्रसाद सिंह का 20.03.2015 को निधन हो गया और उनके पीछे परिवार में चार बेटियाँ और एक बेटा था।

4. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि मृतक ने अपनी अंतिम और एकमात्र वसीयत दिनांकित 08.01.2015 को हिंदी भाषा में निष्पादित की थी जिसे पंजीकरण सं. 819, जिसका ई-डाक टिकट सं. आईएन-डीएल55126532126357एन है, द्वारा विधिवत नोटरीकृत किया गया था,

जिसमें उन्होंने याचिकाकर्ता के पक्ष में सेवानिवृत्ति लाभ दिए थे। वसीयत की अंग्रेजी में टाइप की गई प्रति का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है:

“कि मैं राम प्रसाद सिंह हूँ जो पादप संरक्षण, कृषि विभाग, भागलपुर में क्लर्क के रूप में काम कर रहा हूँ, और मैं वर्ष 2002 में उपरोक्त विभाग से सेवानिवृत्त हुआ था और उसके बाद मैं अपनी बेटी कुमकुम देवी के साथ वर्तमान पते पर रह रहा हूँ।

कि जीवन क्षणभंगुर है और जब मृत्यु का वरण होगा, तो मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा से, बिना किसी दबाव, भय और लालच के, अपनी बेटी के पक्ष में इस वसीयत को निष्पादित करता हूँ कि मेरे निधन के बाद, मुझे उपरोक्त विभाग से सेवानिवृत्ति लाभों के रूप में प्राप्त होने वाली राशि या पेंशन या अन्य लाभ, केवल मेरी बेटी कुमकुम देवी को ही मिलेंगे। किसी और का किसी भी तरह से लाभ में कोई हिस्सा नहीं होगा।

5. दिनांकित 08.01.2015 की वसीयत के तहत प्रदान किए गए अधिकारों को देखते हुए, याचिकाकर्ता ने दिनांकित 12.08.2011 के आदेश का पालन करने में विफलता के कारण कृषि विभाग के खिलाफ अवमानना याचिका, अर्थात् एम.जे.सी. सं. 1655/2015 दायर की। अवमानना याचिका का निर्णय दिनांक 12.08.2011 के आदेश के माध्यम से किया गया था जिसमें यह टिप्पणी की गई कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद, कृषि विभाग विभागीय जांच को समाप्त करने में विफल रहा। चूंकि विभाग के कर्मचारी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए न्यायालय ने उन्हें जांच पूरी नहीं करने

और तीन सप्ताह के भीतर सेवानिवृत्ति की तारीख, यानी 30.01.2002 तक वेतन के बकाया का भुगतान करने का आदेश दिया था और उसके बाद याचिकाकर्ता (मृतक की बेटी और एकमात्र उत्तराधिकारी) को पेंशन का भुगतान करने का आदेश दिया था।

6. इसलिए, एक प्रार्थना की जाती है कि स्वर्गीय श्री राम प्रसाद सिंह की अंतिम वसीयत दिनांकित 08.01.2015 के संबंध में प्रोबेट प्रदान किया जाए।

7. दैनिक समाचार पत्र 'द स्टेट्समैन' दिल्ली (अंग्रेजी समाचार पत्र) में 09.01.2019 और इसी तारीख को 'वीर अर्जुन' दिल्ली (हिंदी समाचार पत्र) में उद्धरण प्रकाशित किए गए थे।

8. मृतक श्री राम प्रसाद सिंह के अन्य विधिक उत्तराधिकारी, प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4, तामील होने के बावजूद इस न्यायालय में पेश नहीं हुए हैं। इसके अलावा, उद्धरण के अनुसरण में किसी भी तीसरे पक्ष ने याचिका पर आपत्तियां दायर नहीं की हैं।

9. कृषि विभाग द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट प्र. अभि.सा./9 जिसके द्वारा रु. 16,16,765.001/- (सोलह लाख सोलह हजार सात सौ पैंसठ रुपये मात्र) का मूल्यांकन किया गया था। रु. 3,13,765.80/- (तीन लाख तेरह हजार सात सौ पैंसठ पैसे रुपये और अस्सी पैसे मात्र) स्वर्गीय श्री राम प्रसाद सिंह को पहले ही

प्राप्त हो चुके थे। जबकि रु. 13,02,999.201/- (केवल तेरह लाख दो हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये और बीस पैसे मात्र) लंबित हैं।

10. अभि.सा. 1 श्री अमरजीत सिंह, जो वसीयत प्र. अभि.सा.2/5 के प्रमाणक साक्षी हैं, ने स्वर्गीय श्री राम प्रसाद की मूल वसीयत के निष्पादन को साबित करने के लिए अपना शपथ पत्र प्र. अभि.सा.1/ए के रूप में प्रस्तुत किया।

11. अभि.सा. 2 कुमकुम देवी, याचिकाकर्ता ने शपथ पत्र के द्वारा अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया। उसने अपना आधार कार्ड प्र. अभि.सा.2/1, मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्र. अभि.सा.2/2, मृतक के निकट संबंधियों की विस्तृत सूची प्र. अभि.सा.2/3, सभी बकाया और सेवानिवृत्ति लाभों की सूची जिनका मृतक हकदार है प्र. अभि.सा.2/4, प्र. अभि.सा.2/5, माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यूजेसी सं. 1979/2007 में पारित आदेश दिनांकित 12.08.2011 प्र. अभि.सा.2/6, माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा एमजेसी सं. 1655/2015 में डब्ल्यूजे/1979/2007 में पारित आदेश दिनांकित 18.08.2015 प्र. अभि.सा.2/7, माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा ले.पे.अ. सं. 1582/2015 में वाद सं. 1655/2015 में पारित आदेश दिनांकित 07.03.2018 प्र. अभि.सा.2/8 और कृषि विभाग द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट प्र. अभि.सा.2/9 प्रस्तुत की है।

12. प्रस्तुतियाँ सुनी गईं।

13. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63(ग) में वसीयत के निष्पादन के लिए विधि का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि इसे दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, जिनमें से प्रत्येक द्वारा वसीयतकर्ता को हस्ताक्षर करते हुए या वसीयत पर अपना चिह्न अंकित करते हुए देखा हुआ होना चाहिए। वसीयत पर वसीयतकर्ता की उपस्थिति में गवाहों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक ही समय में एक से अधिक गवाह मौजूद हों।

14. अभि.सा.-2 सुश्री कुमकुम, याचिकाकर्ता ने गवाही दी थी कि वसीयत दिनांकित 8.01.2015 प्र. अभि.सा.2/5 को उनके पिता श्री राम प्रसाद ने निष्पादित किया था, जिस पर उनके हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान है, जिसे उन्होंने दो प्रमाणक गवाहों की उपस्थिति में अंकित किया था। उसने यह भी कहा कि उसके पिता अपनी अंतिम वसीयत के निष्पादन के समय स्वस्थ दिमाग और अच्छे स्वास्थ्य से युक्त थे।

15. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1963 की धारा 68 आगे वसीयत के प्रमाण की विधि प्रदान करती है और यह अपेक्षित करती है कि वसीयत को प्रमाणित करने वाले कम से कम एक गवाह का परीक्षण किया जाना चाहिए।

16. अभि.सा.-1 श्री अमरजीत सिंह, वसीयत प्र. अभि.सा.2/5 के गवाह का परीक्षण किया गया, जिन्होंने यह गवाही दी कि मृतक राम प्रसाद सिंह ने उनके और दूसरी प्रमाणक गवाह श्रीमती आरती, पत्नी श्री संजय कुमार, निवासी

1987, पिलांजी कोटला, रमेश नगर, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली-110015, की उपस्थिति में उक्त वसीयत पर अपने हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लगाया था। उसने आगे कहा कि वसीयत पर हस्ताक्षर करते समय, मृतक श्री राम प्रसाद सिंह को उक्त वसीयत की विषय-वस्तु की पूरी जानकारी और समझ थी। मृतक ने अपनी उक्त वसीयत की विषय-वस्तु को पढ़ा और समझा था और वसीयत की विषय-वस्तु की शुद्धता को स्वीकार किया था और यह कि यह मृतक की अंतिम वसीयत और वसीयतनामा था।

17. याचिका का प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 द्वारा विरोध नहीं किया गया है जो मृतक के अन्य विधिक उत्तराधिकारी हैं। इसके अलावा, किसी तीसरे व्यक्ति ने समाचार पत्रों में उद्धरण के अनुसरण में कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है।

18. सटीक रूप से, याचिकाकर्ता केवल एक वसीयतदार है और 08.01.2015 दिनांकित वसीयत की निष्पादक नहीं है। फिर भी, प्रशासन के पत्र के बजाय प्रोबेट प्रदान करने के लिए प्रार्थना की गई है।

19. *भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 222(1) के अनुसार वसीयत द्वारा नियुक्त निष्पादक को ही प्रोबेट प्रदान किया जाएगा।*

20. इसके अलावा, *भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 232* यदि कोई निष्पादक नियुक्त नहीं किया जाता है या वसीयत में नामित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वह असमर्थ हो जाता है या कार्य करने से इनकार कर देता

है, तो वसीयतदार के लिए उपलब्ध उपाय का प्रावधान करती है। ये प्रावधान इस प्रकार हैं:

“232. सार्वभौमिक या अवशिष्ट उत्तराधिकारियों को प्रशासन का अनुदान। –

जब- (क) मृतक ने वसीयत की है, लेकिन निष्पादक नियुक्त नहीं किया है, या

(ख) मृतक ने एक निष्पादक नियुक्त किया है जो कानूनी रूप से अक्षम है या कार्य करने से इनकार करता है, या जिसकी वसीयतकर्ता के सामने या वसीयत साबित करने से पहले मृत्यु हो गई है, या

(ग) वसीयत साबित करने के बाद लेकिन इससे पहले कि वह मृतक की सभी संपदा का प्रशासन कर ले, निष्पादक की मृत्यु हो जाती है, तब सर्वस्व या अवशिष्ट वसीयतदार वसीयत को साबित कर सकेगा और उसे संपूर्ण संपदा के या उसके उतने भाग के, जिसको प्रशासित नहीं किया गया है, प्रशासन-पत्र वसीयत को उपाबद्ध करते हुए अनुदत्त किए जा सकेंगे।”

21. यद्यपि वर्तमान याचिका का प्रतिवादियों द्वारा विरोध नहीं किया गया है, फिर भी यह निर्धारित करना संगत है कि वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत में नामित निष्पादक की अनुपस्थिति में किसी वसीयतकर्ता द्वारा दायर एक प्रोबेट याचिका, कानून के तहत पोषणीय है या नहीं।

22. गोविंद एम. असरानी बनाम जयराम असरानी, 1963 एस.सी.सी.

ऑनलाइन मैड 46 में मद्रास उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने कहा कि जब

वसीयत के निष्पादक की प्रोबेट कार्यवाही विचाराधीन रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो प्रोबेट के लिए याचिका को किसी वसीयतदार द्वारा आवेदन पर प्रशासन के पत्र के अनुदान के लिए कार्यवाही में परिवर्तित करने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है।

23. वत्सला श्रीनिवासन बनाम श्यामला रघुनाथन, (2016) 13 एस.सी.सी. 253 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में, जिस निष्पादक ने प्रोबेट याचिका दायर की थी, उसकी कार्यवाही लंबित रहते हुए मृत्यु हो गई थी और उसके बाद प्रत्यर्थी, जो वसीयत के तहत वसीयतदार था, ने उसी कार्यवाही में प्रशासन के पत्र के अनुदान के लिए आवेदन किया। इस सवाल को संबोधित करते हुए कि क्या निष्पादक की मृत्यु पर कार्यवाही समाप्त हो जाती है, यह अभिनिर्धारित किया गया कि दोनों कार्यवाहियों का सार समान है और वे वसीयत की वास्तविकता और प्रामाणिकता के निर्धारण से संबंधित हैं। किसी भी मामले में, वसीयत स्थापित करने के लिए, प्रोबेट कार्यवाही की आवश्यकता होती है। निष्पादक का कार्य वसीयत को निष्पादित करना है। मुख्य उद्देश्य को प्रशासन पत्र प्राप्त करके बहुत अच्छी तरह से प्राप्त किया जा सकता है ताकि संपत्ति को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 232 के अनुसार प्रशासक द्वारा प्रशासित किया जा सके। इसलिए, यह स्पष्ट है कि प्रोबेट के लिए आवेदन करने में एक निष्पादक व्यक्तिगत कार्रवाई से नहीं लड़ रहा है, बल्कि वसीयत के तहत सभी लाभार्थियों के हितों के लिए लड़ रहा है। इसलिए प्रोबेट

के लिए आवेदन करने में एक निष्पादक की कार्रवाई वास्तव में एक व्यक्तिगत कार्रवाई नहीं है और जैसा कि मैंने पहले टिप्पणी की है कि व्यक्ति की मृत्यु के साथ कार्यवाही का व्यक्तिगत अधिकार समाप्त हो जाता है ऐसे मामले में लागू नहीं हो सकता है। यदि निष्पादक अपने कर्तव्य में विफल रहता है, तो उनमें से कोई भी जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, हस्तक्षेप करने और एक 'औपचारिक संशोधन' के साथ कार्यवाही को जारी रखने का हकदार है कि प्रार्थना तब वसीयत के साथ प्रशासन के पत्रों के लिए होनी चाहिए।

24. मद्रास उच्च न्यायालय ने वत्सला श्रीनिवासन (उपरोक्त), में निष्कर्षों को 27.10.2022 को निर्णीत माधी बनाम वैरामनाई सी.आर.पी. संख्या 3381/2021 में लागू किया, जिसमें वह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1906 के आदेश VII नियम 11 के तहत एक प्रोबेट याचिका की पोषणीयता पर इस आपत्ति पर निर्णय ले रहा था कि यह केवल वसीयत में नामित निष्पादक द्वारा दायर की जा सकती है, न कि एक लाभार्थी द्वारा। यह टिप्पणी की गई कि भले ही वसीयतदार ने प्रोबेट के लिए प्रार्थना की थी, यह देखते हुए कि प्रोबेट के लिए कार्यवाही और प्रशासन का पत्र वसीयतदार को लाभान्वित करने के समान उद्देश्य को पूरा करते हैं, न्यायालय प्रोबेट के बजाय एकमात्र वसीयतदार को प्रशासन का पत्र अच्छे से प्रदान कर सकती है, यदि वह वसीयत की वैधता और वास्तविकता को साबित करने में सफल हो जाता है।

25. इसलिए यह टिप्पणी की जाती है कि प्रोबेट की मांग करने वाली वर्तमान याचिका को एतद्वारा प्रशासन पत्र के लिए याचिका के रूप में माना जाता है।
26. अभि.सा. 2 याचिकाकर्ता की अप्रतिरोध्य और निर्विवाद गवाही, जिसे अभि.सा. 1 श्री अमरजीत सिंह नामक प्रमाणक गवाह की गवाही द्वारा समर्थित किया गया है, स्वर्गीय राम प्रसाद की वसीयत दिनांकित 08.01.2015 की वास्तविकता और प्रामाणिकता को साबित करती है, जिसे साबित माना जाता है।
27. वसीयत दिनांकित 08.01.2015 के संबंध में एक प्रशासन पत्र याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रदान किया जाता है, जो आवश्यक न्यायालय शुल्क के भुगतान के अधीन है।
28. याचिकाकर्ता इस न्यायालय के विद्वान संयुक्त महानिबंधक की संतुष्टि के लिए एक प्रतिभूति के साथ प्रशासनिक बंधपत्र प्रस्तुत करेगा।
29. संबंधित कृषि विभाग द्वारा दायर दोनों संपत्तियों का मूल्यांकन अभिलेख पर है।
30. आवश्यक न्यायालय शुल्क के भुगतान और ऊपर उल्लिखित अन्य औपचारिकताओं पर, रजिस्ट्री द्वारा वसीयत दिनांकित 08.01.2015 के संबंध में प्रशासन पत्र जारी किया जाए।

31. याचिका को अनुमति दी जाती है और तदनुसार उपरोक्त शर्तों में निपटान किया जाता है।
32. बंधपत्र जमा करने के लिए दिनांक 15.02.2024 को संयुक्त निबंधक के समक्ष सूचीबद्ध करें।

(नीना बंसल कृष्णा)
न्यायाधीश

31 जनवरी, 2024/ईके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।